रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022026-270209
CG-DL-E-17022026-270209

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 790] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2026/माघ 27, 1947
No. 790] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2026/MAGHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2026

का.आ. 828(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **4803 (अ) तारीख 22/10/2025**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में NH45 के कि.मी. 121 से कि.मी.214.3 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 27/11/2025 को "थे हिंदू" , 27/11/2025 को "डेली थंथी" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में NH45 के कि.मी. 121 से कि.मी.214.3 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण ।

राज्य का नाम: तमिलनाडु			जिले का नाम: विल्लुपुरम		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: विकरावंडी					
गांव का नाम: पप्पानपट्टू					
1	13/4ए1ए	निजी (प्राइवेट)	वेट	0.0558	टेंपररी धर्मकर्ता 1. नेथरा थुवारकेश्वर आलयम 2. कन्नयिरम्पिल्लै ऍस्/ओ. संकरण 13/7
2	13/6ए1ए	निजी	वेट	0.1684	कुप्पू डबल्यू/ओ. देवर 13/8
			Total	0.2242	

[फा. सं. 13015/1/99-Trichy/145/C/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2026

S.O. 828(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.**4803(E) Dated:22/10/2025** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH45 in the stretch of land from Km. 121 to Km. 214.3 in the district of VILLUPURAM in the state of TAMIL NADU.

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Hindu" dated 27/11/2025 , "Daily Thanthi" dated 27/11/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas No objection has been received by the Competent Authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH45 in the stretch of land from Km. 121 to Km. 214.3 in the district of VILLUPURAM in the state of TAMIL NADU.

State: TAMIL NADU			**District: VILLUPURAM**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Vikravandi					
Village: Pappanappattu					
1	13/4A1A	Private	wet	0.0558	Temparary Dharmakartha 1. Nethra Thuvarakeswarar Alayam 2. Kannayirampillai S/o. Sankaran 13/7
2	13/6A1A	Private	wet	0.1684	Kuppu W/o. Devar 13/8
			Total	**0.2242**	

[F. No. 13015/1/99-Trichy/145/C/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.02.17 15:26:18 +05'30'